

बजट आवंटन शादी अनुदान योजना - 2017-18

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, इलाहाबाद, कौशाम्बी,
प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद,
फैजाबाद, अम्बेदकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया,
कुशीनगर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, लखनऊ, हरदोई,
लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध
नगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बरेली, बदायूँ,
पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, वाराणसी, चन्दौली,
गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर,
गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवम् श्रावस्ती (75 जनपद)।

पत्रांक/002-Marrige of Daughters/²⁶⁶⁵/पि0व0क0/शादीअनुदान/2017-18दिनांक: 06 मार्च, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 79 के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

शासनादेश संख्या - 04/2018/118/64-2-2018-1(15)/2017 दिनांक 23 जनवरी 2018 के सन्दर्भ में अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 79 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राप्त प्राविधानित धनराशि रू0 1,54,00,00,000.00 (रूपया एक अरब चौवन करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 90,87,80,000.00 (रू0 नब्बे करोड़ सत्तासी लाख अस्सी हजार मात्र) का आवंटन व्यय हेतु संदर्भित शासनादेश में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपको किया जा रहा है:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।
2. लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली सहायता उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन एवम् असहाय व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी (वित्तीय सहायता) नियमावली, 2007, शासनादेश संख्या- 7/2016/106/64-2-2016-1(66)/2006 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या-21/2016/396/64-2-2016-1(66)/2006 दिनांक 18 जुलाई, 2016 के प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत प्राविधानों से विचन अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
3. स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-800-अन्य व्यय-04-पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सम्पूर्ण, मुख्य, उपमुख्य, लघु तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।

6. शादी अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् सम्बन्धित मामलों में सम्बन्धित लाभार्थियों को नियमानुसार देय आर्थिक सहायता की धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से सर्वर पर डाटा अपलोड करने एवं तदोपरान्त रिस्पान्स प्राप्त होने पर तत्सम्बन्ध में पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से की जायेगी।

7. सम्बन्धित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि इस योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली धनराशि का प्रत्येक माह सत्यापन कर तद्विषयक रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से प्रमाणित करा कर निदेशालय को प्राप्त करायेंगे।


8. बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में विभागीय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा आबंटन के सापेक्ष कोषागार से आहरित धनराशि के सम्बन्ध में वाउचर संख्या तिथि तथा आहरित धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर भेजना सुनिश्चित किया जाय। अनुपालन न करने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में किन्हीं नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण ससमय विभाग को करना अनिवार्य होगा।

10. उक्त से संबन्धित व्यय विवरण निदेशालय को नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। प्रमाणित किया जाता है कि यह आबंटन निदेशालय आबंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 24 से 28 पर अंकित है।

संलग्नक : यथोक्त।


(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

पृ0सं0: 2665 002-Marrige of Daughters / पि0व0क0 / शादी अनुदान / 2017-18 तद्दिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 6- सम्बन्धित योजना पटल, मुख्यालय।


(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-06/03/2018

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 003-MARRIAGE OF DAUGHTERS
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
800 - अन्य व्यय
04 - पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7760000 22560000	7760000 22560000
2	मुज़फ्फर नगर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7240000 11080000	7240000 11080000
3	मेरठ-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3420000 7180000	3420000 7180000
4	बुलन्दशहर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6500000 12580000	6500000 12580000
5	अलीगढ-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9220000 15080000	9220000 15080000
6	मथुरा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5100000 10120000	5100000 10120000
7	आगरा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5860000 7060000	5860000 7060000
8	मैनपुरी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13920000 27080000	13920000 27080000
9	एटा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7600000 18100000	7600000 18100000
10	बरेली-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	27380000 33020000	27380000 33020000
11	बिजनौर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10280000 15960000	10280000 15960000
12	बदायूं-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	17980000 40340000	17980000 40340000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
13	मुरादाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13460000 19100000	13460000 19100000
14	शाहजहांपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	39340000 51700000	39340000 51700000
15	पीलीभीत-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20440000 31660000	20440000 31660000
16	रामपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13040000 17840000	13040000 17840000
17	फर्रुखाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10800000 13760000	10800000 13760000
18	इटावा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8460000 22960000	8460000 22960000
19	कानपुर नगर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13880000 26840000	13880000 26840000
20	फतेहपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10080000 18100000	10080000 18100000
21	इलाहाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	34660000 42680000	34660000 42680000
22	झाँसी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9900000 20220000	9900000 20220000
23	जालौन-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5440000 13760000	5440000 13760000
24	हमीरपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8900000 14520000	8900000 14520000
25	बांदा -4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11240000 22020000	11240000 22020000
26	वाराणसी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15520000 21740000	15520000 21740000
27	मिर्जापुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	21760000 35020000	21760000 35020000
28	जौनपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30120000 32960000	30120000 32960000
29	गाज़ीपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15900000 23980000	15900000 23980000
30	बलिया-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	26380000 40900000	26380000 40900000
31	गोरखपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25200000 34380000	25200000 34380000
32	बस्ती-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15780000 37000000	15780000 37000000
33	आजमगढ़-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16380000 26440000	16380000 26440000
34	देवरिया-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14040000 27120000	14040000 27120000

